

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- 1714/ 14-1, दिनांक, दिसम्बर 13 2016

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- सम्मल में आगरा-मुरादाबाद मार्ग (एन0एच0-93) किमी0 146 की बाँयी पटरी पर ग्राम रसूलपुर के खसरा सं0-149 में एस्सार आयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.2138 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 8 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ के पत्रांक-8बी/यूपी/06/56/2016/एफ0सी0/161 दिनांक 29.06.2016 एवं आपका पत्रांक-02/11 सी, दिनांक 04.07.2016।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ द्वारा लगायी गई आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, सम्मल वन प्रभाग, सम्मल द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित किया गया है, अतः प्रभागीय वनाधिकारी, सम्मल वन प्रभाग, सम्मल से प्राप्त मूल प्रस्ताव की 3 प्रतियां अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है :-

Observation .No	Observation of GOI	Reply /Modification (संशोधन/निराकरण)
1	In part I as Sr. No.A-1(ix) non forestland required for proposal is mentioned as zero which is incorrect.	ऑनलाईन पार्ट-1 के बिन्दु सं0-ए-1(9) पर सूचना अंकित करने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि याचक स्तर पर ऑनलाईन पार्ट-1 के बिन्दु सं0-ए-1(9) में कोई चिन्ह प्रदर्शित नहीं हो रहा है जिस कारण गैर संरक्षित वन भूमि का विवरण ऑनलाईन पार्ट में अंकित किया जाना संभव नहीं है। हार्ड कॉपी (प्रस्ताव में) गैर संरक्षित क्षेत्र का विवरण अंकित कर दिया गया है (पेज सं0-11 संलग्न है)।
2	As part II the progress of compensatory affectation in the Division is very low Reasons may be intimated.	प्रभाग का सृजन वर्ष 2012 में हुआ है इससे पूर्व मुरादाबाद एवं बदायूँ जनपद में वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव स्वीकृत हुये है। अतः प्रभाग के सृजन से क्षतिपूरक की प्रगति पार्ट-2 के बिन्दु सं0-14 में अंकित की गयी है(पेज सं0-8 संलग्न है)।
3	The proposal is submitted with three efficient versions of part-1 and two versions of part II. Reasons for doing so may be elaborated.	पार्ट-1 एवं पार्ट-2 की प्रति प्रस्ताव में चस्था कर दी गयी है(पेज सं0-10 से 16 संलग्न है)।
4	At Sr. No. 11 of part II information regarding violating of FCA-1980 "No Data" has been mentioned, which needs clarification.	ऑनलाईन पार्ट-2 के बिन्दु सं0-11 के क्रम में अवगत कराना है कि ऑनलाईन पार्ट-2 में संशोधन तकनीकी कारणों से नहीं हो रहा है प्रस्ताव की हार्ड कॉपी में संशोधन कर दिया गया है(पेज सं0-14 संलग्न है)।
5	At Several places of proposal correction with white ink has been done without authenticated.	प्रस्ताव में जिन प्रमाण पत्रों पर सफेद इंक लगायी गयी थी उन्हें पुनः संशोधित कर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
6	In two different versions of part I data regarding employment generation avarice.	ऑनलाईन पार्ट-1 एवं हार्डकॉपी में संशोधन कर दिया गया है(पेज सं0-4 व 11 संलग्न है)।
7	The crown density of forest patch varies in two versions of part-II submitted with the proposal.	ऑनलाईन पार्ट-2 में इको क्लास व डेनसिटी संशोधित कर दी गयी है(पेज सं0-6 व 13 संलग्न है)।
8	The area calculation for proposed forest land is incorrect and does not match with the approved layout plan.	ले-आउट प्लान के अनुसार एरिया केलकुलेशन संशोधित कर दिया गया है(पेज सं0-34 संलग्न है)।

9	The toposheet at page 36 is without title, legend and index.	टोपोशीट में टाइटल व लीजेन्ट अंकित कर दिया गया है (पेज सं0-31 संलग्न है)।
10	The site inspection report with the proposal at page 40 is not as per GOI approved format.	साईट इंस्पेक्शन रिपोर्ट (जी0ओ0आई0 के आधार पर) संशोधित कर दी गयी है (पेज सं0-48 संलग्न है)।
11	There are corrections on layout plan of the proposal without authentication of the competent authority.	ले-आउट प्लान में त्रुटि पर एन0एच0आई0 के सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर व मुहर लगा दी गयी है (पेज सं0-35 संलग्न है)।
12	The enumeration list of trees enclosed is without botanical names.	वृक्षों के वानस्पतिक नाम की सूची प्रस्ताव में संशोधित कर दी गयी है (पेज सं0-37 संलग्न है)।
13	The compensatory effectuation scheme is without incorporating provision for cost ecasluation.	क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन आपके पत्रांक- 526/11सी दिनांक-9.9.216 द्वारा निर्धारित सीलिंग दरों के आधार पर तैयार किया गया है। प्राक्कलनों में तृतीय वर्ष (प्रथम वर्ष अनुरक्षण) से प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से अनुमानित वृद्धि का भी समावेश है क्षतिपूरक वनीकरण की स्कीम ऑनलाईन पार्ट-2 एवं प्रस्ताव की हार्ड कॉपी में संशोधन कर दिया गया है (पेज सं0-39 से 41 संलग्न है)।
14	The compensatory afforestation site is located on protected forest along road side which may be relocated forest patch.	प्रभाग में आरक्षित/अवनत वन भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः प्रस्तावित मार्ग पर जगह-जगह खाली भूमि पर वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है। चयनित स्थान की डिजीटल मैप, सी0डी0, एवं टोपोशीट प्रस्ताव के पेज सं0-43 एवं 44 पर संलग्न कर दिया गया है।
15	The proposal is without NPV calculation.	एन0पी0वी0 की गणना में संशोधन कर दिया गया है (पेज सं0-66 संलग्न है)।
16	CF has written that he has inspected but inspection report of CF has not been provided with the proposal.	पार्ट-3 में ऑनलाईन व ऑफलाईन संशोधन कर दिया गया है (पेज सं0-17 संलग्न है)।

संलग्नक-यथोपरि (प्रस्ताव की 3 प्रतियां मूल में)।

भवदीय,

(आर0पी0 वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुंरादाबाद क्षेत्र, मुंरादाबाद।

संख्या / 14-1 उक्तदिनांकित

- प्रतिलिपि:-1. प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल को उनके पत्र संख्या-771/14.-1 दिनांक 30.11.2016 के कम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयक प्रस्ताव (इस कार्यालय से प्राप्त कर) तत्काल मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि:-2. डिवीजनल मैनेजर, एस्सार आयल लि0, ए-5, सेक्टर-3, नोएडा को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0पी0 वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुंरादाबाद क्षेत्र, मुंरादाबाद।